न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./27/2024

1—राजेन्द्र प्रसाद । पिस0 कलुआराम जाति ब्राहम्ण निवासी वरघा तहसील उच्चैन
2—रामकुमार । जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1—महेन्द्र } पिसरान कलुआ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्रांम बरघा
2—पातीराम }
3—विष्णू पुत्र महेन्द्र सिंह तहसील उच्चेन जिला भरतपुर
4—निम्मा पत्नी महेन्द्र सिंह
5—नरेन्द्र पुत्र रामकुमार

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध सहायक कलेक्टर, उच्चैन व मुकदमा दावा संख्या 22/21 उनवानी राजेन्द्र बनाम महेन्द्र सिंह।

उपस्थितः—
1—श्री राजेश सोगरवाल, अभिभाषक प्रार्थी,

निर्णय दिनांक 13.11.2024

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ सहायक कलेक्टर उच्चैन इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त उनवानी एक दावा सहायक कलेक्टर न्यायालय उच्चैन में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण लठैत व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है कि तारीख पेशी पर आये तो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। इस प्रकार अब प्रार्थीगण को भय है कि अप्रार्थीगण 1लगा.3 कभी भी कोई भी संगीत वारदात कर सकते हैं। प्रकरण को न्यायालय उच्चैन से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण या उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं, प्रार्थी अभिभाषक को इकतरफा में सुना गया।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 27 / 2024
राजेन्द्र प्रसाद वगै0 बनाम महेन्द्र वगै0

योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से जानमाल का खतरा है। सहायक कलक्टर उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन दावा में तारीख पेशी पर आने से रोकते है, मारने की धमकी देते हैं, पहले भी यह हमारे साथ वारदात कर चुके हैं। न्यायालय सहायक कलेक्टर उच्चैन में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब का अवलोकन किया, अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों को झूंठा होना बताते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों की समर्थन में प्रस्तुत नकल फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्चैन का अवलोकन किया गया। दूरअन्देशी को मध्य नजर रखते हुये प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन दावा 22/21 उनवानी राजेन्द्र बनाम महेन्द्रसिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में स्थानान्तरित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर उच्चैन न्यायालय में विचाराधीन दावा 22/21 उनवानी राजेन्द्र बनाम महेन्द्रसिंह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर में स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं सहायक कलेक्टर,उच्चैन को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

नोट:- आदेशिका दिनांक 5/12/24 की पालना में उक्त आदेश में दर्ज सहायक कलक्टर उच्चैन के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास किया जाता है/ पढ़ा जावे/

जिला कलक्टर
भरतपुर